भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1968

दिनांक 17.12.2013/ 26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

उर्वरकों की तस्करी

†1968. चौधरी लाल सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि उर्वरक की देश के बाहर नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों और प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा-वार जब्त की गई उर्वरकों की प्रमात्रा कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उर्वरकों की तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) और (ख) : देश के बाहर नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में उर्वरक की तस्करी की घटनाएं हुई हैं। गत तीन वर्षों और दिनांक 30.11.2013 तक वर्तमान वर्ष के दौरान जब्ती के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

सीमा	2010	2011	2012	2013
भारत-नेपाल (मात्रा बैगों की संख्या में)	28094	12953	10555	4450
भारत-भूटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत-म्यांमार (मात्रा किग्रा. में)	शून्य	शून्य	9500	शून्य
भारत-बांग्लादेश (मात्रा किग्रा में)	83938	8477	45980	75561
भारत-पाकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत-चीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

.....2/-

(ग) : सीमाओं पर तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i) उन सीमा चौकियों (बीओपी) की सुभेद्यता का पता लगाना, जो तस्करी हेतु संभावित क्षेत्र हैं। इन बीओपी को अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती, विशेष निगरानी उपकरणों, वाहनों और अन्य अवसंरचना सहायता के द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है।

ii) सीमाओं की चौबीसों घंटे निगरानी, अर्थात गश्त, नाका लगाने, संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर निगरानी चौकियों की स्थापना के माध्यम से सीमाओं पर प्रभावी आधिपत्य कायम रखना।

iii) भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाना।

iv) सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

v) लंबी दूरी सर्वेक्षण एवं निगरानी प्रणाली (एलओआरआरओएस), युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार (बीएफएसआर), हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), रात्रि दृश्य उपकरण/चश्मा (एनवीडी/एनवीजी) आदि जैसे बल वर्धक एवं उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों के प्रयोग की शुरुआत करना। सीमा पर आधिपत्य को और अधिक बढ़ाने के लिए नवीनतम उपकरणों को प्राप्त करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

vi) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन एवं संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय।

vii) सीमा और अंदरूनी क्षेत्रों में विशेष अभियानों का संचालन।

viii) सीमा पर प्रभावी आधिपत्य का पर्यवेक्षण करने के लिए यूनिट के कमांडेंटों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमा का बार-बार दौरा करना।

ix) पड़ोसी देशों के सीमा प्रहरियों के साथ बेहतर समन्वय के साथ-साथ इन क्षेत्रों में समन्वित गश्त लगाना।

****